30/1/23

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी ने
कथन बहस में निवेदन किया
कि बादग्रस्त आराजी ग्राम कोटड़ा
में स्थित है जो आराजी प्रार्थी की
खातेदारी में दर्ज है। बादग्रस्त
आराजी पर प्रार्थी काबिज होकर
काश्त कर रहा है। बादग्रस्त
आराजी से विपक्षी का कोई
संबंध सरोकार नहीं होते हुए
भी विपक्षी जबरन बादग्रस्त
भूमि के उत्तर दिशा में नव
निर्माण कार्य किया जा रहा है।
उक्त आराजी कृषि भूमि है।
इस पर किसी प्रकार का किसी
प्राधिकृत अनुज्ञा के पक्का निर्माण
कार्य करने का कोई हक व
अधिकार विपक्षी को नहीं है।
जबरन प्रार्थी के खातेदारी कि
भूमि पर जबरन ताकत के
आधार पर अवैध निर्माण कार्य
किया जा रहा है। अगर विपक्षी

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.02.21 15:49:07 IST
Reason: SelfAttested

को पाबंद नहीं किया गया तो प्रार्थी
को अपूरणीय क्षति कारित होगी।
इसलिए प्रा.पत्र स्वीकार फरमाया
जाकर विपक्षी को मूल वाद
के निस्तारण तक अस्थायी
निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना
न्यायोचित है। इसके विरोध
में अप्रार्थी ने अपनी बहस में
निवेदन किया कि विपक्षी प्रार्थी
के खातेदारी एवं कब्जे काश्त
की भूमि में कोई पक्का निर्माण
कार्य नहीं किया जा रहा है।
प्रार्थी की आराजी के उत्तरी
पड़ौस में विपक्षी की आराजीयात
स्थित है। विपक्षी स्वयं की
आराजी में ही बावड़ी बैठने
के लिए चबूतरा निर्माण कराया
जा रहा है। जो मेरी स्वयं की
आराजी में ही करवाया जा रहा
है मैंने पत्थरगढ़ी करवायी
पत्थरगाढ़ी के निशान है। उन्हें
छोड़कर प्रार्थी की आराजी में
निर्माण नहीं किया जा रहा है।
इसलिए प्रार्थी विपक्षी को किसी
भी तरह [illegible] निषेधाज्ञा
से पाबंद [illegible] अधिकारी
नहीं है। [illegible] का प्रा.
पत्र खारिज योग्य है।
उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस
सुनी गई। प्रस्तुत प्रा.पत्र जवाब

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.02.21 16:49:07 IST
Reason: SelfAttested

एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। मौका रिपोर्ट अनुसार आराजी नं. 3321 रकबा 1.29 हैक्ट. भूमि प्रार्थी जगदीश पिता कंवरलाल डांगी के दर्ज रिकार्ड है मौका रिपोर्ट अनुसार जो निर्माण कार्य विपक्षी द्वारा किया गया है जो आराजी नं. 3321 प्रार्थी के हिस्से में आती है इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निहित होने एवं अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने से यथास्थिति बनाये रखी जाने हेतु विपक्षी को मूल वाद के निस्तारण तक कोई निर्माण नहीं करने हेतु पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है।

इसलिए अस्थाई प्रा.पत्र 212 [illegible] का स्वीकार किया जाकर इस वाद के निस्तारण तक मौजा कोटड़ा की खा.नं. 4647/2362 जिसे नम्बर 3321 रकबा 1.29 हैक्ट. भूमि के किसी भी भू भाग पर निर्माण नहीं करने हेतु विपक्षी को पाबंद किया जाता है कि किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं करे न करावे निर्णय स्वरूप [illegible] किया गया। पत्रावली [illegible] नम्बर के [illegible] के साथ संलग्न हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.02.21 15:49:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी